सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: **NCST/DEV-1557/JH/8/2023-ESDW** दिनांक: **10.07.2023**

सेवा में,
श्री भोर सिंह यादव,
उपायुक्त,
जिला लातेहार,
उपायुक्त का कार्यालय,
लातेहार-829206,
झारखंड
ई मेल: dc-lat@nic.in

विषय: न्यायलय विशेष विनियमन पदाधिकारी, लातेहार के न्यायालय वाद सं. 01/2021-22 के संबंध में श्रीमती सुरतमणि देवी, पति राम मिलन सिंह, ग्राम-बरवाडीह, टोला-अहिरपुरवा, थाना-बरवाडीह, जिला-लातेहार, झारखण्ड का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर समाहरणालय, (सामान्य शाखा) लातेहार, झारखंड से प्राप्त उत्तर/पत्र दिनांक 15.05.2023 की छायाप्रति अभ्यावेदक को सूचनार्थ भेजी गयी थी जिससे असंतुष्ट होकर अभ्यावेदिका **सुरतमणि देवी** ने दिनांक 24.06.2023 का रिजॉइंडर आयोग को भेजा है, उक्त रिजॉइंडर की प्रति संलग्न कर आपको भेजने का निर्देश हुआ है।

2. आपसे अनुरोध किया जाता है की रिजॉइंडर में उठाए गए बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गयी कार्रवाई की तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग को इस पत्र प्राप्ति के 07 दिनों की अवधि के भीतर अवश्य भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि अग्रिम कार्रवाई हेतु मामलें को आयोग के समक्ष रखा जा सके।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

संलग्न यथोपरि.

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. **श्रीमती सुरतमणि देवी,**
   पति राम मिलन सिंह,
   ग्राम-बरवाडीह, टोला-अहिरपुरवा,
   थाना-बरवाडीह, जिला-लातेहार,
   झारखण्ड

2. **एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।**